जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर

दिनांकः-02-09-2023

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.08.2023 को वादी हनीफ पुत्र अब्दुल रशीद नि0 ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा सुचना दी की वसीम पुत्र अल्लारखा निवासी ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा जाने के सम्बन्ध में सुचना दी जिस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0स0-354/2023 धारा 363 भादवि बनाम वसीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया

कार्यवाही - श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बिजनौर द्वारा हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 02-09-2023 को उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त वसीम पुत्र अल्लारख्खा नि0 ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है उक्त अभियोग में अपर्हता की बरमदगी दिनांक-31.08.2023 को की जा चुकी है। पीडिता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 366/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट की वृध्दि की गई । अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

अभियुक्त वसीम पुत्र अल्लारख्खा नि0 ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-नि0अ0 श्री मानचन्द्र थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2. का0 1316 मुकेश कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

थाना बढापुर पुलिस द्वारा हत्या कर शव छिपाने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.08.2023 को वादिया श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 राम सिंह निवासी ग्राम गौसपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- पूजा (वादिनी की पुत्रवधू) 2- डालचन्द (पूजा का सौतेला पिता) 3-सोनू (पूजा का भाई) निवासीगण ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 22.08.2023 को वादिनी के बेटे पप्पू की हत्या कर शव को छिपा देने के सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 194/23 धारा 302/201 भादवि बनाम पूजा उपरोक्त आदि पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.09.2023 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 194/23 धारा 302/201 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1- पूजा पत्नी पप्पू 2- डालचन्द पुत्र रणवीर सिंह निवासी गण ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

तस्करा पूछताछ

अभियुक्त डालचन्द उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी सौतेली बेटी पूजा का उसके चचेरे देवर हुकुम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी गौसपुर सादात थाना कोतवाली देहात से प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर पूजा का पति पप्पू (मृतक) उसको शराब पीकर मारता पीटता था और बहुत परेशान करता था। कई बार गांव में भी पप्पू ने पूजा के साथ मारपीट की थी। पप्पू से पूजा तंग आ गयी थी। हुकुम सिंह कई बार गांव में

पूजा से मिलने आया था। दिनांक 18.08.2023 को पूजा अपने पति पप्पू को साथ लेकर अपनी ससुराल से गांव आयी थी। पूजा ने हुकुम सिंह से कहा था कि पप्पू को रास्ते से हटा देगे तो चैन की जिंदगी जी पायेगे और हम आपस में शादी भी कर लेगें। हुकुम सिंह ने डालचन्द व पूजा को सलाह दी कि पप्पू का गला घोंटकर नदी में डाल देना तथा लाश बरामद होने पर सब लोग ये जानेगे कि पप्पू की नदी में डूबने से मृत्यु हुई है। योजनानुसार दिनांक 22.08.2023 को डालचन्द शाम के समय खेत पर गया और पीछे - पीछे पूजा अपने पति पप्पू को खेत की तरफ लेकर गयी। डालचन्द ने पप्पू को शराब पिलाने का बहाना बनाया और उसको खो नदीं के किनारे ले गया और पूजा भी साथ थी। डालचन्द ने पप्पू को खो नदी के पास बैठा दिया और उन दोनों ने मिलकर पप्पू के गले में पड़े गमछे से पप्पू का गला घोंटकर हत्या कर दी तथा लाश को दोनों ने खींचकर खो नदी में धकेल दिया। डालचन्द ने यह भी बताया कि उस दिन पहाड़ो पर बहुत तेज बारिश होने के कारण खो नदी का बहाव बहुत तेज था तथा पहाडों से बहुत बालू आ रही थी। डालचन्द ने गांव में आकर ये बता दिया कि पप्पू अपने घर की कहकर चला गया और पप्पू का पता न चलने पर उसकी तलाश करने का बहाना करने लगे और दिनांक 25.08.2023 को खुद को बचाने व पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से थाना बढापुर पर पप्पू की गुमशुदगी भी दर्ज करायी थी ।

उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम गौसपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया है। अभियोग में धारा 120 बी भादवि की वृद्धि की गई है। डालचन्द की निशादेही पर खो नदी के समीप जंगल ग्राम बगनाला से मृतक पप्पू की टूटी हुई चप्पल व आधार कार्ड बरामद किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की जा रही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-पूजा पत्नी पप्पू निवासी ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2- डालचन्द पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1- मृतक की घटना के समय पहनी चप्पल।

2- मृतक का आधार कार्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री सुदेश पाल सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री ब्रजराज सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 1140 अंकित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

4. आरक्षी 2052 नीटू थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5. महिला आरक्षी 2389 मेघा थाना बढापुर जनपद बिजनौर।